

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11253 / 2497

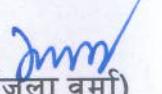
दिनांक :- 26/10/18

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पंकज कुमार मीणा [लिंक नं. 11253] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, मालाखेड़ा, अलवर - [31084] जिनकी जन्म तिथि 24/04/1989 है, का दिनांक 29/07/2018 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 29/07/2018 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री पंकज कुमार मीणा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11253 / 2497

दिनांक :- 26/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
3. तहसीलदार, राजस्व विभाग, मालाखेड़ा, अलवर।
4. कोषाधिकारी अलवर।
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी स्व. श्रीमती /श्री Priyanka Meena ,गाव- गुवाराघेस्ली पोस्ट- मोतिवारा तहसील- राजगढ़, , राजगढ़, , अलवर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा।


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)